SATYARTHI
KAILASH SATYARTHI CHILDREN'S FOUNDATION

बाल विवाह मुक्त भारत
CHILD MARRIAGE FREE INDIA

सुरक्षित बचपन, सुरक्षित भारत | SAFE CHILDHOOD, SAFE INDIA

पृष्ठभूमि

हमारे समाज में बाल विवाह की सामाजिक बुराई लंबे समय से मौजूद है। तमाम प्रयासों के बाद भी इस पर नकेल नहीं कसी जा सकी है। अब वक्त आ गया है कि इसके समूल नाश के लिए नई पहल की जाए। दुनिया के जिन भी देशों में बाल विवाह की कुरीति प्रचलन में है, उनमें भारत पहले स्थान पर है। एक अनुमान के मुताबिक हमारे देश में 20 से 24 साल की 23.3 प्रतिशत महिलाएं ऐसी हैं, जिनका विवाह बालिग होने यानि की 18 साल कि उम्र का होने से पहले ही, कर दिया गया।

बाल विवाह बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों का सबसे क्रूर चेहरा है, जो उनके मानवाधिकारों का संपूर्ण हनन करता है। नाबालिग बच्चियों को बाल वधू बनने के लिए मजबूर किया जाता है। इससे उन्हें मानसिक यातना, एवँ शारीरिक पीड़ा सहनी पड़ती है और शिक्षा से भी वंचित रहना पड़ता है। बाल विवाह के चलते लड़कियों को कम उम्र में मां का दायित्व निभाना पड़ता है और कई बार तो प्रसव के दौरान इन नाबालिगों की मौत तक हो जाती है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन(डब्ल्यूएचओ) के अनुसार नाबालिग लड़कियों के संक्रामक यौन रोगों के चपेट में आने की ज्यादा संभावना होती है ऐसे में जब उनकी शादी कम उम्र में होती है तो वे शरीर में रक्त की कमी का भी शिकार हो जाती हैं। गरीब एवं कमजोर परिवारों से आने वाली लड़कियों को शादी के लिए खरीदा व बेचा जाता है, उनकी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रैफिकिंग की जाती है। कई बार तो उनकी शादी एक से ज्यादा पुरुषों से कर दी जाती है। इसके बाद उन्हें वेश्यावृत्ति के लिए रेडलाइट एरिया में उन्हीं के पति बेच भी देते हैं। बाल विवाह की यह बुराई केवल कुछ समुदायों में या सीमांत क्षेत्रों तक सीमित नहीं है बल्कि कुछ धर्मों में भी यह प्रचलित है, जहां लड़कियों के यौवन की अवस्था में आने पर ही शादी कर दी जाती है, भले ही उनकी उम्र कानूनी रूप से शादी करने लायक न हो। यहां चिंताजनक पहलू यह है कि हाल ही में आए कुछ अदालती फैसलों में इसे धर्म का हिस्सा बताकर शादी को सही ठहरा दिया गया, जो कि भारतीय कानून के खिलाफ है।

व्यापक जागरूकता अभियान की जरूरत क्यों?

नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित, जाने-माने बाल अधिकार कार्यकर्ता एवं समाज सुधारक कैलाश सत्यार्थी ने बच्चों के भविष्य को समग्र रूप से प्रभावित करने वाले मुद्दों पर पूर्व में अनेक रैलियां की हैं और जागरूकता अभियान चलाएं हैं। इन प्रयासों के फलस्वरूप बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों से निपटने में हमारी कानूनी प्रक्रिया व सुरक्षा एजेंसियों के दृष्टिकोण में सकारात्मक और प्रगतिशील परिवर्तन आया है। अभियानों ने यह भी सुनिश्चित किया है कि पीड़ित बच्चों को न्याय मिल सके।

साल 1998 में कैलाश सत्यार्थी जी ने बाल श्रम के खिलाफ एक वैश्विक यात्रा ('ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर') निकाली थी। 103 देशों से गुजरे इस मार्च में 70 लाख लोगों ने भाग लिया था और बालश्रम के उन्मूलन के प्रति समर्थन जताया था। इस मार्च से बालश्रम के खिलाफ एक जबरदस्त वैश्विक माहौल बना। मार्च का समापन अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के सम्मेलन के दौरान 1998 में ही हुआ और आईएलओ कन्वेंशन 182 के ड्राफ्ट में बद्तर हालात में काम करने वाले बालश्रमिकों की आवाज का प्रतिबिंब भी दिखाई दिया। आईएलओ कन्वेंशन 182 को वैश्विक रूप से साल 2020 में अपना लिया गया। आईएलओ के इतिहास में यह पहली बार था जब कोई कन्वेंशन इतनी तेजी से और वैश्विक रूप से स्वीकार किया गया हो। इसमें ग्लोबल मार्च, इसके सदस्यों और सहयोगियों की अहम भूमिका रही।

मौजूदा समय में बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज भी समाज के कई वर्गों में इसे परंपरा के रूप में देखा जाता है न कि बच्चों के प्रति एक क्रूर अपराध के रूप में।

बाल विवाह की इस सामाजिक बुराई के खिलाफ स्वामी दयानन्द सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और स्वामी श्रद्धानंद जैसे कई समाज सुधारकों ने लंबी लड़ाई की है। इनके सामाजिक आंदोलन का ही परिणाम था कि बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 1929 ने कानून की शक्ल अख्तियार की, इसे 'शारदा अधिनियम' के नाम से भी जाना गया। यह हमारे देश में बाल विवाह के खिलाफ पहला दस्तावेजी कानून था। आगे चलकर सरकार ने बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 अधिनियम को मूर्त रूप दिया। इसका लक्ष्य था कि देश से बाल विवाह का पूरी तरह से उन्मूलन किया जा सके। हालांकि इस लक्ष्य का पूरा होना बाकी है।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष(आईएमएफ) के अनुसार आज एक ओर, भारत की अर्थव्यवस्था साल 2030 के अंत तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दहलीज पर है, वहीं दूसरी ओर दुर्भाग्य से हमारे समाज में अब भी बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई अपनी जगह बनाए हुए है। बच्चियों की सुरक्षा की चिंता भी मां-बाप को, उनका बाल विवाह करने पर मजबूर करती है। यह एक गंभीर मसला है। गरीब एवं शोषित वर्ग की बच्चियों के लिए 14 वर्ष की उम्र के बाद पढ़ाई रखना मुश्किल होता है, ऐसे में जबरन उन्हें बाल विवाह की खाई में फेंक दिया जाता है। हमें अपने समाज को विकसित करके, देश की महिलाओं के लिए एक मजबूत अर्थतंत्र बनाना होगा, ताकि कि वे देश की तरक्की में अपनी भूमिका निभा सकें।

साल 2017 में कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन्स फाउंडेशन (केएससीएफ) ने नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी के नेतृत्व में बाल यौन शोषण के खिलाफ देशव्यापी 'भारत यात्रा' निकाली थी। इस यात्रा का मकसद बाल यौन शोषण के पीड़ितों को समयबद्ध न्याय दिलाना, ऐसे अपराधों पर लगाम लगाना और इसके लिए जरूरी कानूनी एवं नीतिगत बदलाव लाना था। 'मेक इंडिया सेफ फॉर चिल्ड्रन' का संदेश लिए यह यात्रा एक सामाजिक आंदोलन थी जिसमें स्थानीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक स्तर पर कार्यक्रम किए गए। इसका लक्ष्य था कि जिन बच्चों को सुरक्षा व देखभाल की जरूरत है, उनके लिए वैश्विक स्तर पर समर्थन जुटाया जाए। (भारत यात्रा के परिणाम स्वरूप भारतीय दंड संहिता में संशोधन किया गया। क्रिमिनल लॉ(संशोधन) अध्यादेश-2018 में बच्चों से दुष्कर्म में सर्वोच्च सजा का प्रावधान किया गया। साथ ही समयबद्ध न्याय और पॉक्सो एक्ट-2012 में भी उचित संशोधन किए गए।)

'बाल विवाह मुक्त भारत' कैंपेन है क्या?

नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी द्वारा स्थापित कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन्स फाउंडेशन(केएससीएफ), एक देशव्यापी कैंपेन 'बाल विवाह मुक्त भारत' का आगाज करेगी। तीन साल तक चलने वाला यह कैंपेन देश के पांच हजार गांवों तक पहुंच बनाएगा। सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए अभियान के तहत एक करोड़ से भी ज्यादा लोगों को जोड़ा जाएगा। इसका मुख्य लक्ष्य साल 2025 तक बाल विवाह की संख्या में 10 प्रतिशत की कमी लाना है जो कि अभी 23.3 प्रतिशत है।

बाल विवाह, कम उम्र की लड़कियों के सभी अधिकारों का हनन करता है खासकर उनके स्वास्थ्य, शिक्षा व सुरक्षा का। ट्रैफिकिंग और बाल विवाह रोकने के सख्त कानून होने के बावजूद नाबालिग बच्चियों को शादी के लिए ट्रैफिक किया जाता है, खरीदा और बेचा जाता है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 को अन्य कानूनों के ऊपर तरजीह देनी चाहिए। साथ ही बाल विवाह को ह्यूमन ट्रैफिकिंग से अलग नहीं देखा जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त केएससीएफ के फ्लैगशिप प्रोग्रामों में से एक बाल मित्र ग्राम(बाल मित्र ग्राम) और सर्वाइवर-लेड इंटेलीजेंस के जरिए कई साल से निरंतर गांवों में बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं।

जमीनी स्तर पर काम करने के प्रयास के चलते ही आज पायल जांगिड़, राधा पांडे और तारा बंजारा जैसी युवा लीडर सामने आ चुकी हैं, जिन्होंने अपने परिवार का विरोध कर खुद के बाल विवाह को रुकवाया है।

सशक्तीकरण का प्रतीक बन चुके पायल जैसे बच्चे कैसे इस सामाजिक बुराई की जड़ पर प्रहार कर सकते हैं?

11 साल की उम्र में पायल के घर वाले उसकी पढ़ाई छुड़वाकर, शादी करने का निर्णय ले चुके थे। लेकिन अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति के चलते पायल ने इससे निजात पाई। आज पायल बाल मित्र ग्राम का हिस्सा है, जो कि बच्चों को अपने जीवन व समुदाय की भलाई के लिए सकारात्मक निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है। 25 सितंबर, 2019 को पायल को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की ओर से 'गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स चेंजमेकर अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया। उस समय पायल की उम्र केवल 17 साल थी। एक बाल प्रधान के रूप में पायल अपने गांव के बच्चों व महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए बगैर थके निरंतर काम करती है। वह गांव में रैली निकालती है, धरना-प्रदर्शन करती है ताकि अपने गांव में मौजूद विभिन्न युवा फोरम और औरतों के समूहों को जोड़ा जा सके।

कुछ भी हो, लेकिन इस 'सुरसा के मुंह' जैसी सामाजिक बुराई के समूल नाश के लिए जरूरी है कि आमजन के विचारों में जागरूकता की सुनामी लाई जा सके और एक अत्यंत मजबूत इच्छाशक्ति उत्पन्न की जा सके।

बाल विवाह के खिलाफ सतत् प्रयासों की रणनीति

बाल विवाह के खिलाफ सतत् प्रयासों की रणनीति

महिला नेतृत्व एवं सहभागिता, लड़कियों का स्कूल में दाखिला सुनिश्चित किया जाए, ताकि उनकी कम उम्र में शादी को रोका जा सके।

- 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की कम उम्र में शादी होने का खतरा अधिक होता है, उन्हें संवेदनशील बनाया जाए व संरक्षण दिया जाए।
- 18 साल का होने तक बच्चों का स्कूलों में सौ फीसदी दाखिला व गुणवत्तापरक शिक्षा सुनिश्चित की जाए।
- महिलाओं के स्वयंसहायता समूहों को अधिक गतिशील व संवेदनशील बनाया जाए ताकि वे लड़कियों के सशक्तीकरण के लिए काम कर सकें। साथ ही उन्हें घरेलू कार्य एवं जिंदगी की बारीकियों के बारे में सिखा सकें।

एसडीजी टारगेट 5.3 : सभी तरह की बुराइयों जैसे बच्चों की कम उम्र में व जबरन शादी और महिलाओं का खतना आदि का समूल उन्मूलन।

- 20 से 24 साल की युवतियों को सामाजिक बुराइयों के प्रति संवेदनशील बनाना ताकि एसडीजी के लक्ष्य को हासिल किया जा सके।
- कानून की पालना से संबंधित संस्थानों को संवेदनशील बनाया जाए और विभागों के आपसी समन्वय को और अधिक बेहतर करने का प्रयास किया जाए।
- बच्चों से संबंधित हेल्पलाइन, पुलिस हेल्पलाइन व अन्य सरकारी हेल्पलाइन को लेकर समाज के बीच जागरूकता अभियान चलाए जाएं।
- बाल विवाह के मुद्दे को स्कूल के कोर्स में शामिल किया जाए। साथ ही किताबों के आखिरी पन्ने पर बच्चों से संबंधित सभी हेल्पलाइन का नंबर प्रकाशित किया जाए।

लड़कियों के स्वास्थ्य व पोषण पर ध्यान देना

- कम उम्र की युवतियों के गर्भवती होने के खतरे को कम करने के लिए जागरूकता फैलाना और स्वास्थ्य अधिकार की जानकारी देना।
- स्वास्थ्य कर्मियों को इस बारे में प्रेरित करना कि वे नवयुवतियों को असुरक्षित यौन संबंधों से होने वाले संक्रामक रोगों के प्रति संवेदनशील बनाएं।
- यौन संबंध बनाने वाले साथी द्वारा किसी तरह की हिंसा किए जाने पर खुली बहस करना, खासकर जेंडर आधारित हिंसा पर।
- बिना किसी भेदभाव के स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुंच बनाना।
- शादी की कानूनी उम्र होने तक सभी बच्चों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाने व कौशल विकास कार्यक्रम में प्रशिक्षित होने के लिए बजट का आवंटन हो।

बच्चों, महिलाओं व युवाओं के समूह के जरिए स्थानीय स्तर पर नेतृत्व का विकास करना

- गांवों में बाल विवाह को लेकर जागरूकता फैलाना।
- ग्रामीण स्तर पर समुदाय एवं सरपंच, धार्मिक नेता व स्थानीय एजेंसियों को मजबूत बनाना।
- ग्राम पंचायतों व सरपंच को बाल विवाह के मुद्दे पर बोलने के लिए प्रेरित करना।
- बाल विवाह के मामलों पर समुदाय की सोच में सकारात्मक बदलाव लाना।

बाल विवाह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना

- हर जिले में बाल विवाह रोकने वाले अधिकारी की नियुक्ति हो।
- अपराध की गंभीरता को देखते हुए बाल विवाह की सजा तय होनी चाहिए। जैसे कम से कम दस साल की सजा बाल विवाह कराने वाले को हो, अगर बच्चे की उम्र 14 साल से कम हो तो। कम से कम पांच साल की सजा हो अगर बच्चे की उम्र 14 से 18 साल के बीच हो।
- यदि शादी के लिए किसी को खरीदा या बेचा जाता है तो ऐसे मामले में आजीवन कारावास का प्रावधान हो।
- बाल विवाह के प्रयास को अपराध माना जाए।
- बाल विवाह हो रहा है या होने वाला है, इसकी सूचना अनिवार्य की जाए।

- बाल विवाह की सूचना न देने को भी अपराध माना जाए और इसमें सजा का प्रावधान हो, जो कि छह माह तक बढ़ाई जा सकती हो और इसमें जुर्माने का भी प्रावधान हो। बाल विवाह पीड़ित बच्चे को इससे छूट मिले।
- बाल विवाह होने की सूचना या हो रहा है, की सूचना मिलने पर सरकारी अधिकारी व बाल विवाह रोकने वाले अधिकारी की जवाबदेही तय हो। पंचायतीराज व्यवस्था की भी जिम्मेदारी तय हो।
- 18 साल से कम उम्र की बच्चियों के लिए एक उचित प्रावधान हो, जिसमें वह शादी के बाद अपने ऊपर हुए यौनिक हमले की शिकायत कर सके।
- बाल विवाह पर एजेंसियों की जिम्मेदारी व त्वरित कार्रवाई को और बढ़ावा देना।
- बाल विवाह के पीड़ितों को संरक्षण एवं सहयोग देना।
- दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाना।

कैलाश सत्यार्थी ने इस अभियान की अहमियत बताते हुए कहा, 'मैं अपने देश के नागरिकों, सामाजिक संगठनों, अभिभावकों, सभी समुदायों और सरकारी एजेंसियों से आहवान करता हूं कि 16 अक्टूबर को बाल विवाह की पीड़िताओं व महिलाओं के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए एक-एक दिया जलाएं और इस सामाजिक बुराई के पूर्ण खात्मे की शपथ लें।'

कैंपेन से कौन जुड़ेगा?

राज्य के मुखिया	धार्मिक गुरु	महिला नेता	जनप्रतिनिधि
संसद सदस्य	यूथ एंबेसडर	राज्यों के मंत्री	न्यायपालिका
नागरिक संगठन	हस्तियां	पुलिस अधिकारी	मीडिया
इन्फलुएंसर्स	बाल कल्याण समिति	सरपंच/मुखिया	

कैंपेन के आगाज का स्वरूप कैसा दिखेगा?

50 हजार से ज्यादा महिला नेता दिया जलाएंगी और गांव के 50 से 100 सदस्यों के साथ चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया की शपथ दिलवाएंगी।

आप कैसे जुड़ सकते हैं? कैसे सहयोग कर सकते हैं?

- **अपने गांव या समुदाय के प्रतिष्ठित स्थान पर दिया जलाएं।**
- **50 से 100 लोगों को संगठित करें।**
- **कैंपेन के आगाज में प्लेकार्ड व बैनर के साथ जुड़ें।**
- **बाल विवाह खत्म करने की शपथ लें।**
- **सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर बाल विवाह के खिलाफ पोस्ट लिखें और #EndChildMarriage का प्रयोग करें**

SATYARTHI

KAILASH SATYARTHI CHILDREN'S FOUNDATION

Registered Office: L-6, III Floor, Kalkaji, New Delhi 110 019 ● T. +91 11 49211102

@KSCFIndia /KSCFIndia /KSCFIndia info@satyarthi.org

To report, call the complaint cell number 1800 102 7222